



क्र./नि.वि.1/स-6/अचल संपत्ति/परिपत्र /88

दिनांक 08.08.2023

परिपत्र

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(2) के अनुसार सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को अचल संपत्ति से सम्बंधित लेन-देन को अपने कार्यालय में सूचित करना/उसकी पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में यह देखा गया है कि उक्त नियम का संभागीय लेखापाल संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। कई मामलो में न तो पूर्व में सूचना दी जाती है और न ही पूर्व में मंजूरी हेतु आवेदन भेजे जाते हैं, जिससे अनावश्यक पत्र-व्यवहार करना पड़ता है।

अतः संभागीय लेखापाल संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 के नियम 18(2) का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(प्राधिकार: उप महालेखाकार (नि.ले.) के आदेश दिनांक 07.08.2023)

Shyamsunder

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

प्रति,

वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी
संभागीय लेखाधिकारी-1 एवं 2
संभागीय लेखापाल / परि. संभागीय लेखापाल